न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–08 / 2017

Sl. No. Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date

अंचल अधिकारी, चकाई– आवेदक प्रथम।
श्री गणेश यादव, पे0–तुलो यादव आवेदक द्वितीय।
श्री मिशो यादव पे0–स्व0 दुखी यादव– आवेदक तृतीय।
श्री छतरी यादव पे0–स्व0 गुणा यादव– आवेदक चतुर्थ।
श्री कामदेव यादव पे0–रीपन यादव– आवेदक पंचम।
श्री सहदेव यादव पे0–स्व0 चकरू यादव– आवेदक षष्टम
श्री बालदेव यादव पे0–स्व0 सौना यादव– आवेदक सप्तम।
श्री बढ़न यादव, पे0–स्व0 हरिहर यादव– आवेदक अष्टम
श्री मीठनन्दन यादव पे0–स्व0 मेधु यादव– आवेदक नवम्।
सा0–चन्द्रमंडी (गंगरी), अंचल–चकाई, जिला–जमुई।

बनाम

1. दासो महतो, पे0–स्व0 नुनेश्वर महतो– विपक्षी।

अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत मामला अंचल अधिकारी, चकाई के पत्रांक–402 दिनांक–17.07.2017 द्वारा मौजा–बारा के जमाबंदी संख्या–16 के अतंर्गत खाता संख्या–23, कुल रकवा–7.05 एकड़ भूमि को जमाबंदी रद्द करने की अनुसंशा के साथ जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–02 / 2017–18 का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, जिसके आलोक में जमाबंदी रद्दीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। संचालित वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें दोनो पक्षों द्वारा सुनवाई के क्रम में अपना–अपना पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, चकाई का पक्ष–अंचल अधिकारी, चकाई ने अपने अभिलेख में उल्लेख किया है कि जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–820 / रा0 दिनांक–05.07.2017 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–645 दिनांक–06.05.2017 जो जिला पदाधिकारी, जमुई को सम्बोधित है, से ज्ञात हुआ कि मौजा–बारा, खाता संख्या–23, खेसरा संख्या–503 एवं 504 रकवा–6.23 एकड़ में से 5.93 एकड़ भूमि आरक्षित वन घोषित है। जिला पदाधिकारी, जमुई के उक्त पत्र के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जमुई एवं उनके (अंचल अधिकारी, चकाई) द्वारा दिनांक–10.07.2017 को उक्त भूमि का स्थलीय एवं दस्तावेजो की संयुक्त रूप से जॉच की गयी। संयुक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा मौजा बारा के खाता संख्या–23 कुल रकवा–7.05 एकड़ भूमि में से खेसरा संख्या–503, 504 कुल रकवा–5.93 एकड़ भूमि से संबंधित जमाबंदी संख्या–16 को रद्द करने हेतु अभिलेख बनाकर सक्षम प्राधिकार के समक्ष भेजने हेतु निदेश दिया गया। उक्त पत्र के अवलोकन एवं स्थलीय जॉच में खाता

संख्या–23, खेसरा संख्या–503, 504 आरक्षित वन क्षेत्र में पाया गया तथा जमाबंदी संख्या–16 के जमाबंदी रैयत नुनेश्वर महतो वगैरह का दखल कब्जा नहीं पाया गया। स्थलीय जॉच में वन विभाग का पेड़–पौधा पाया गया। जमाबंदी संख्या–16 का सृजन भी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश से किया गया है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा मौजा–बारा के अन्तर्गत जमाबंदी संख्या–16 के जमाबंदी रैयत नुनेश्वर महतो वगैरह के नाम से खाता संख्या–23 रकवा–7.05 एकड़ भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुसंशा की गई है।

संयुक्त जॉच प्रतिवेदन–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, उप सामहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा समर्पित संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में वर्णित है कि मौजा–सिलफरी, टोला–बारा, खाता संख्या–23, खेसरा–503, 504 रकवा–6.23 एकड़ जमाबंदी संख्या–16 जिसमें रेवल प्रसाद यादव द्वारा खातियान एवं अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा संधारित विविध वाद संख्या–18/73–74 में दिनांक–05.12.1973 में पारित आदेश से रसीद निर्गत होने के आलोक में दावा किया गया है। उक्त भूमि आरक्षित वन भूमि है। उक्त भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या–6539 VIF-9/46-R dt. -10-07-1946 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया गया है। उक्त आरक्षित वन भूमि का विभागीय नक्शा भी उपलब्ध है। आरक्षित वन भूमि अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा रसीद निर्गत करने का आदेश देना विधि–सम्मत् नही है। ग्राम–बारा के जमाबंदी संख्या–16 जो नुनेश्वर महतो वगैरह के नाम से है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संख्या के पन्ना पर 1975–76 से 1981–82 रसीद काटने का वर्ष अंकित है लेकिन लगान का दर अंकित नही है। पुनः उक्त जमाबंदी में 29.03.1985 को रसीद काटने का वर्ष अंकित किया गया। लेकिन रसीद का संख्या अस्पष्ट है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। जमाबंदी संख्या–16 के अंतर्गत दिनांक–22.09.2015 को 2015–16 तक सभी वर्षो का बकाया एक ही लगान रसीद संख्या में है, जो अस्पष्ट है, के अन्तर्गत 87 रू0 अंकित किया गया है। इस तरह वर्ष 1986 से 2016 तक कुल 31 वर्षो का लगान एक साथ लिया गया है, जो विपक्षी को लाभ पहुचाने के उद्धेश्य से किया गया है। अंचल न्यायालय, चकाई में संधारित विविध वाद संख्या–18/73–74 से रसीद काटने का आदेश मिला होता तो वर्ष 1973–74 से लगातार अर्थात प्रत्येक वर्ष लगान रसीद निर्गत होते रहता, जो नही हुआ है। विविध वाद संख्या–18/73–74 से संबंधित दस्तावेज भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। जमाबंदी संख्या–16 में खाता अंकित है लेकिन खेसरा अंकित नही है। अतः ये जमाबंदी के अंतर्गत निर्गत रसीद संदेहास्पद है। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी जिसके द्वारा आरक्षित वन भूमि का रसीद निर्गत किया गया है, के विरूद्व कठोर–अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। वर्त्तमान में उक्त भूमि जो आरक्षित वन भूमि है, चाहर दीवारी के अंदर है तथा इस पर आवेदक का दावा गलत है।

विपक्षी नुनेश्वर महतो वगैरह का पक्ष–विपक्षी नुनेश्वर महतो वगैरह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आवेदक द्वारा जमाबंदी संख्या–16 को रद्द किये जाने से संबंधित आवेदन निम्नांकित तथ्यों के आलोक में स्वीकार नहीं किया जा सकता है :–

I. जमाबंदी संख्या–16 में दर्ज 7.05 एकड़ जमीन जिसका खाता संख्या–23 है, विपक्षीगण की खतियानी जमीन है।

II. बिहार सरकार द्वारा किस आधार पर उक्त खतियानी जमीन को अधिसूचित कर आरक्षित वन घोषित किया गया, के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकी खाता संख्या–23 में खेसरा संख्या–503 एवं 504 की जमीन का किस्म भीठ व परती कदीम दर्ज है।

III. खेसरा संख्या–503 का कुल रकवा 5.02 एकड़ एवं खेसरा संख्या–504 का रकवा 1.21 डी0 है, लेकिन जमाबंदी संख्या–16 में दर्ज कुल रकवा 7.05 एकड़ है इसलिए सम्पूर्ण जमाबंदी रद्द किया जाना न्यायोचित नही है।

IV. खतियान के पूर्व से ही खाता संख्या–23 में दर्ज जमीन पर उनके पूर्वजों का दखल कब्जा चला आ रहा है। कभी भी वन विभाग या आवेदक का दखल कब्जा नही हुआ है, और ना ही हकीयत ही प्राप्त हुआ है।

V. खाता संख्या–23 की जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम से जमीनदारी के समय से ही चला आ रहा है, लेकिन जमीनदारी उन्मूलन के उपरांत वर्ष 1970–71 में कर्मचारी के द्वारा रसीद नहीं काटने पर उनके पूर्वज नुनेश्वर महतो वगैरह द्वारा अंचल अधिकारी, चकाई के समक्ष आवेदन पत्र दिया गया, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा विविध वाद संख्या–18/73–74 कायम कर हल्का कर्मचारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी ।

VI. हल्का कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा कि खाता संख्या–23 की जमीन नुनेश्वर महतो की खतियानी जमीन है, जिसकी जमाबंदी पूर्व से ही कायम है लेकिन जमाबंदी पर नीलाम दर्ज है, लेकिन केश नम्बर इत्यादि दर्ज नहीं है। किसी पक्ष द्वारा आम सूचना के बाबजूद दावा नहीं किया गया और ना ही नीलामी से संबंधित कोई कागजात ही प्रस्तुत किया गया, चुँकि खाता संख्या–23 के जमीन विपक्षीगण की खतियानी जमीन थी और जमाबंदी भी कायम था, अंचल अधिकारी, चकाई के आदेशानुसार मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। जमाबंदी संख्या–16 में खेसरा संख्या दर्ज नहीं होने के लिए वे दोषी नहीं है।

VII. स्थल पर किसी तरह की जॉच सरकारी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया और ना ही इस संबंध में हमें कोई सूचना दी गयी। जमाबंदी संख्या–16 में दर्ज खाता संख्या–23, खेसरा संख्या–503 व 504 की जमीन पर वन विभाग का ना तो दखल कब्जा है, और ना ही जंगल अवस्थित है। बल्कि दोनो खेसरों का जोता–अबाद विपक्षीगण द्वारा किया जाता है।

VIII. वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी द्वारा अपनी मर्जी से रसीद निर्गत नही किया गया है, बल्कि अंचल अधिकारी, चकाई के आदेश दिनांक–29.11.1973 के आलोक में पूर्व से रसीद कटता चला आ रहा है। विपक्षीगण द्वारा आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जमाबंदी संख्या–16 को कायम रखने का अनुरोध किया गया है। साक्ष्य के रूप में मिश्रित अभिलेख संख्या–18/73–74 के नकल की छाया प्रति, लगान रसीद की छाया प्रति तथा समादेश याचिका संख्या–9524/2017 की याचिका की प्रति, अहस्ताक्षरित खतियान की छाया प्रति एवं आवेदक को सेशन जज, जमुई द्वारा अग्रिम जमानत दिये जाने की आदेश की छाया प्रति संलग्न की गयी है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई का पक्षः–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई ने अपने पत्रांक–808 दिनांक–31.05.2018 में खाता संख्या–23 खेसरा संख्या–503 एवं 504 कुल रकवा–6.23 एकड़ की जमाबंदी संख्या–16 को निम्नांकित

तथ्यों के आलोक में रद्द करने का अनुरोध किया गया है:–

(क) जमाबंदी संख्या–16 रद्द करने योग्य है, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या–6539 VIF-9/46-R dt. -10-07-1946 द्वारा उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया है।

(ख) अंचल निरीक्षक ने अपने जॉच प्रतिवेदन में कहा हैं कि मौजा–बारा, थाना संख्या–39/64 के अन्तर्गत खाता संख्या–23 खेसरा संख्या–503 एवं 504 क्रमशः 5.02 एकड़ एवं 1.21 एकड़ भूमि का सरकारी रसीद वर्ष 1975–76 से 1984–85 तक कुल 10 वर्षो का लगान रसीद दिनांक–29.03.1985 को निर्गत किया गया, जिसका रसीद संख्या–703586 है, किन्तु हल्का के लगान रसीद भण्डार पंजी में उक्त रसीद का उल्लेख नहीं है। वर्ष 1984–85 पर ओभर राईटिंग है, अतः फर्जी तरीके से रसीद काटा गया है।

(ग) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के तहत जब किसी भूमि को आरक्षित भूमि बनाने का निश्चय किया जाता है तब राज्य सरकार राजपत्र में उक्त आशय की सूचना जारी की जाती है कि ऐसी भूमि को आरक्षित की जायेगी तथा समावेष्ट भूमि में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकारों की दावों की जॉच के लिए वन व्यवस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–6 के तहत् वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा संबंधित भूमि के आस–पास बसे लोगों के स्थानीय भाषा में घोषणा किया जाता है कि प्रस्तावित वन की स्थिति, सीमा तथा व्याख्या एवं जानकारी देने वाली सूचना दी जाती है। जिसमें घोषणा की तिथि से तीन माह के अवधि में दावा करने वाले हर व्यक्ति को वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से दावा किया जाना है, यदि प्रश्नगत मामलें में किसी प्रकार दावा वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष रखा जाता तो उनके दावों की जॉच/विचार किया जाता है।

(घ) मौजा–सिलफरी खाता संख्या–23, खेसरा संख्या–503 एवं 504 कुल रकवा–6.23 एकड़ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–6539 VIF-9/46-R dt. -10-07-1946 के तहत् आरक्षित वन घोषित किया गया है। अतः इस से संबंधित जमाबंदी संख्या–16 रद्द किये जाने योग्य है।

(ड़) दिनांक–10.07.1946 से वन विभाग का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा चला आ रहा है। उक्त वन भूमि के स्वामित्व से संबंधित अधिसूचना के विरूद्ध आज तक किसी सक्षम न्यायालय में ना तो दावा किया गया है और ना ही उसे रद्द किया गया है। विपक्षीगण के पूर्वजो के समय से दखल कब्जा की बात बिलकुल गलत है।

(च) संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों का संदर्भ करते हुए कहा गया है कि अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा उक्त लाभुको (रैयतों) तथा राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है तथा यह वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित की धारा–02 के तहत जंगलों के संरक्षण पर गैर वन उद्धेश्य के लिए वन भूमि के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध का उल्लंघन भी है।

(छ) विपक्षीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार बनाकर गैर कानूनी एवं फर्जी तरीको से आरक्षित वन भूमि को कब्जा करने का प्रयास किया गया है।

(ज) जमाबंदी संख्या–16 में दर्ज खाता संख्या–23, खेसरा संख्या–503 एवं 504 के जमीन पर वर्ष 1946 से ही वन विभाग का दखल कब्जा है तथा उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा पूर्व में भी वनरोपन कार्य किया गया है।

(झ) अंचल अधिकारी, चकाई के कार्यालय अभिलेख संख्या–18/73–74 से संबंधित कागजतों के प्रमाणिकता स्थापित किये जाने के अनुरोध पर अंचल अधिकारी, चकाई ने अपने पत्रांक–422 दिनांक–25.07.2017 द्वारा बताया गया कि इसका मूल अभिलेख एवं नकल निर्गत पंजी उपलब्ध नहीं है तथा पूर्व के कर्मियों द्वारा प्रभार में नही दिये जाने के कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि उक्त कागजात वास्तविक में था ही नहीं, प्रश्नगत वन भूमि को हड़पने के लिए नकली एवं फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया तथा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी संख्या–16 दर्ज कराकर वन भूमि का सरकारी रसीद निर्गत करा लिया गया, जिसके लिए अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा उक्त लाभुकों एवं राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई ने इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट संख्या–202/95 में दिनांक–12.12.1996 को पारित आदेश में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के वन संरक्षक के प्रावधानों को सभी प्रकार के वन पर लागू होने से संबंधित निर्देश का भी संदर्भ किया है।

(ञ) वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा वन विभाग की भूमि पर गलत तरीके से बिना आधार के कायम की गई जमाबंदी संख्या–16 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। साक्ष्य के रूप में अंचल अधिकारी, चकाई को प्रेषित पत्र का पत्रांक–1068 दिनांक–22.07.2017, अंचल अधिकारी, चकाई के पत्रांक–422 दिनांक–25.07.2017, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या–202/1995 में पारित न्यायादेश दिनांक–12.12.1996 की प्रति संलग्न की गयी है।

उभय पक्षों की सुनवाई, प्रस्तुत साक्ष्यों से निम्नांकित विचारणीय बिन्दु उभर कर सामने आता है:–

1. रैयती भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित करने से संबंधित अधिसूचना संख्या–6539 VIF-9/46-R dt. -10-07-1946 प्रभावी है अथवा नही।

2. वन भूमि घोषित करने की अधिसूचना के उपरांत अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा संबंधित जमाबंदी संख्या–16 जिसमें निलामी अंकित कर रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा था, के संबंध में रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाना विधि सम्मत है अथवा नहीं।

3. जिस जमीन पर पूर्व से ही वन विभाग का दखल कब्जा चला आ रहा है एवं पूर्व में वनरोपण कार्य भी किया गया है, में बिना वरीय पदाधिकारियों का आदेश प्राप्त किये हुए संधिग्ध कागजातों के आलोक में विगत कई वर्षो का रसीद एक साथ निर्गत किये जाने की कार्रवाई समीचिन है अथवा नहीं ।

निष्कर्ष :–

मौजा–सिलफरी, टोला–बारा, खाता संख्या–23, खेसरा संख्या– 503 एवं 504 रकवा क्रमशः 5.02 एकड़ एवं 1.21 एकड़ कुल रकवा–6.23 एकड़ खतियान के अनुसार रैयती भूमि है परंतु राजस्व विभाग के अधिसूचना संख्या–6539 VIF-9/46-R dt. -10-07-1946 द्वारा इसे अधिसूचित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। रैयती भूमि, जो सरकार में निहित हो गयी अथवा उसका अर्जन कर उसे अधिसूचित वन क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सरकार में निहित है, इसलिए प्रश्नगत मामलें में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–6539 VIF-9/46-R dt. -10-07-1946 सम्प्रति प्रभावी है क्योंकि विपक्षीगण द्वारा अब तक कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो कि प्रश्नगत भूमि को अधिसूचित वन क्षेत्र को

घोषित करने से संबंधित अधिसूचना रद्द की गयी हो **अथवा** प्रश्नगत भूमि को उक्त अधिसूचना से मुक्त किया गया हो, अधिसूचित वन क्षेत्र की भूमि पर अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा विविध वाद संख्या–18/73–74 द्वारा लगान रसीद निर्गत किये जाने का आदेश दिया जाना समीचिन नहीं है। क्योंकि अधिसूचित वन क्षेत्र की भूमि वन विभाग की परिसम्पत्ति है साथ ही वर्ष 2015–16 में अंचल अधिकारी, चकाई के कथित रूप से विविध वाद संख्या–18/73–74 में पारित आदेश जिसका मूल अभिलेख सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, के आलोक में विगत कई वर्षो का रसीद बिना वरीय पदाधिकारी के आदेश के एक साथ निर्गत किया जाना समिचिन नहीं है तथा इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध अंचल अधिकारी, चकाई के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है। राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा मौजा–सिलफरी, टोला–बारा, खाता संख्या–23, खेसरा संख्या–503 एवं 504 रकवा क्रमशः 5.02 एवं 1.21 एकड़ कुल रकवा 6.23 एकड़ को अधिसूचित वन क्षेत्र घोषित कर दिये जाने के उपरांत जमाबंदी संख्या–16 पर दर्ज किये जाने का ना तो कोई स्पष्ट विधिक आधार है और ना ही प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगण का अधिसूचना की तिथि से दखल कब्जा ही रहा है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार भूमि दाखिल खारीज अधिनियम–2011 की धारा 9 के प्रावधानों को दृष्टिपथ पर रखते हुए मौजा–सिलफरी टोला–बारा, खाता संख्या–23, खेसरा संख्या–503 एवं 504 रकवा क्रमशः 5.02 एवं 1.21 एकड़ कुल रकवा–6.23 एकड को जमाबंदी संख्या–16 से रद्द (विलोपित) की जाती है।

अंचल अधिकारी, चकाई को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार पंजी II में यथा आवश्यक सुधार करें तथा गलत रूप से जमाबंदी कायम करने एवं रसीद निर्गत करने के लिए दोषी कर्मी तथा पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए सम्यक अनुशासनिक/कानूनी कार्रवाई हेतु विहित माध्यम से प्रस्ताव दें।

आदेश की प्रति विपक्षीगण, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, चकाई को आवश्यक कार्यार्थ भेजे।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

15/1/19

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

15/1/19

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 85 /रा0, दिनांक– 15.01.2019

प्रतिलिपि :–विपक्षीगण/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, चकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/1/19

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।